प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 03.02.2025

गोतस्करी के आरोप में 25,000 रुपये का ईनामियां 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गोतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बांसगांव के नेतृत्व में उ0नि0 सुभाष चन्द्र पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 399/2021 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम,11 पशु क्रुरता अधिनियम व 307,427 भादवि से संबंधित 25,000 रुपये का ईनामियाँ वांछित अभियुक्त दीपू हरिजन को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 05.12.2021 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा बांसगांव माल्हनपार रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान माल्हनपार की तरफ से आ रही पिकअप को चेक करने हेतु रोका गया तो अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस वाहन पर टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और पिकअप असंतुलित होकर पास के नाले मे फंस गयी। उक्त पिकअप से 02 नफर अभियुक्तगण के कब्जे से 07 राशि गोवंश बरामद किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा 25,000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपू हरिजन पुत्र भवन हरिजन निवासी ग्राम कोटिया थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 399/2021 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 307,427 भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 सुभाष चन्द्र पांडेय थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रवीन्द्र नाथ चौबे थाना बासंगांव जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 धर्मबीर सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
4. हे0कां0 रंजीत कुमार पाण्डेय थाना बासंगांव जनपद गोरखपुर
5. हे0कां0 दिनेश कुमार गौतम थाना बासंगांव जनपद गोरखपुर
6. कां0 देवेश वर्मा थाना बासंगांव जनपद गोरखपुर